जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2024/डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 195वीं बैठक दिनांक 25.07.2024 को प्रातः 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	**विषय**	**निर्णय**
1.	–	195:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 194वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत्।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 194वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2	08	195:2	निजी खातेदारी की आवासीय योजना भास्कर एनक्लेव मै जविप्रा की व्यावसायिक पट्टी क्षेत्रफल 139.13 व.मी. का आवंटन करन` बाबत्। (श्रीमती निशा कर्णावट)	निजी खातेदारी की आवासीय योजना भास्कर एनक्लेव मे जविप्रा की व्यावसायिक पट्टी क्षेत्रफल 139.13 व.मी. का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि नियमानुसार व्यावसायिक पट्टी का आवंटन नहीं किया जा सकता। साथ ही उपायुक्त को निर्देशित किया गया यदि जविप्रा की व्यावसायिक पट्टी पर अतिक्रमण किया हुआ है तो अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।
3	09	195:3	जविप्रा की योजना रामनगरिया के भूखण्ड़ संख्या ए–237 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. के दक्षिण दिशा में स्थित स्ट्रिप ऑफ लैण्ड़ 98.00 व.मी. का आवंटन बाबत्। (श्री नारायण लाल निनावत)	जविप्रा की योजना रामनगरिया के भूखण्ड़ संख्या ए–237 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. के दक्षिण दिशा में स्थित स्ट्रिप ऑफ लैण्ड़ 98.00 व.मी. का आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। भूखण्ड संख्या ए–237 के दक्षिण दिशा में योजना की रिजर्व श्रेणी की भूमि जो कि भूखण्ड संख्या ए–256 से भी लगती हुई है। अतः जविप्रा हित में उक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड को भूखण्डधारियों के मध्य सीमित नीलामी के माध्यम से विक्रय/आवंटन किया जावें, एव शेष रिर्जव भूमि की जविप्रा हित में योजना बनाकर 10 अगस्त 2024 तक नीलामी की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावें।

RajKaj Ref
9274663

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.07.29 1[illegible]:44:34 IST
Reason: Approved

4	10	195:4	जविप्रा की अनुमोदित योजना मीणा पालड़ी के ब्लॉक बी में सुविधा क्षेत्र (स्कूल) हेतु क्षेत्रफल 8820 वर्गमीटर रूरल सेटलमेन्ट के लिए सुनियोजित विकास हेतु जनहित में राजकीय बालिका उ. मा.वि. स्कूल का आवंटन किये जाने बाबत्।	जविप्रा की अनुमोदित योजना मीणा पालड़ी के ब्लॉक बी में सुविधा क्षेत्र (स्कूल) हेतु क्षेत्रफल 8820 वर्गमीटर रूरल सेटलमेन्ट के लिए सुनियोजित विकास हेतु जनहित में राजकीय बालिका उ.मा.वि. स्कूल का आवंटन किये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण में प्रशासनिक विभाग के माध्यम से निर्धारित प्रारूप की पूर्ति, स्कूल के क्रमोन्नत आदेश के फलस्वरूप भवन निर्माण की आवश्यकता, वित्तीय उपलब्धता इत्यादि की पुष्टि की जाकर 8820 व.मी. में से 4000 व.मी. प्रावधानानुसार नि:शुल्क आवंटन की कार्यवाही की जावें।
5	14	195:5	जविप्रा की रिंग रोड़ योजना ग्राम श्रीरामपुरा में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 14/ओ.जे./70 क्षेत्रफल 300 व.मी. एवं भूखण्ड़ संख्या 14/ओ.जे./एस/11 क्षेत्रफल 12.50 व.मी. के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड़ आवंटन करने बाबत्। (श्रीमती हमीदन बेगम)	जविप्रा की रिंग रोड़ योजना ग्राम श्रीरामपुरा में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 14/ओ.जे./70 क्षेत्रफल 300 व.मी. एवं भूखण्ड़ संख्या 14/ओ.जे./एस/11 क्षेत्रफल 12.50 व.मी. के स्थान पर विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड़ आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर समतुल्यता के आधार पर भूखण्ड विनिमय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा ऐसे समान प्रकृति के अन्य प्रकरणों को समूह में एलपीसी की बैठक में रखे जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

आयुक्त महोदया की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

6.	5	195:6	अपोलो नगर हा.को.सो.लि. की योजना विश्वैसरिया नगर के भूखण्ड़ संख्या 105 में बढे हुए क्षेत्रफल 16'X66'=117.33 वर्गगज का आवंटन करने बाबत्।	अपोलो नगर हा.को.सो.लि. की योजना विश्वैसरिया नगर के भूखण्ड़ संख्या 105 में बढे हुए क्षेत्रफल 16'X66'=117.33 वर्गगज का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आवेदक को कॉर्नर भूखण्ड़ का पट्टा जारी है अत: कॉर्नर भूखण्ड़ को बनाये रखते हुए कॉर्नर की ओर से भूखण्ड की माप करने तथा अतिरिक्त भूमि को अन्य भूखण्डधारियों हेतु भी विकल्प की दृष्टि से लिमिटेड ऑक्शन प्रक्रिया से आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

RajKaj Ref
9274663

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.07.29 1[illegible]:44:34 IST
Reason: Approved

- भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत् विभिन्न उद्देश्यों के लिए समस्त संस्थागत आवेदन नागरिक सेवा केन्द्र में एकल खिडकी के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जाने हेतु सिस्टम एनालिस्ट से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जावें।
- विनिमय में दिये जाने वाले भूखण्डों के प्रकरण योजना/परियोजनावार एलपीसी की बैठक में एक साथ समुह के रूप में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावें।
- जोन कार्यालय द्वारा सरकारी कार्यालयों को भूखण्ड आवंटन सम्बन्धी प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही कि जावें तथा समस्त लम्बित प्रकरणों को आगामी बैठक में आवंटन हेतु निर्णयार्थ रखा जावें।
- एलपीसी की 193वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 में राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17–ए के अंतर्गत आवेदनकर्ता पदक विजेता खिलाडियों/गैलेण्ट्री अर्वाडीज/राष्ट्रपति पुरूस्कार से सम्मानित शिक्षको को आवंटन हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना कल्पना नगर में भूखण्ड आरक्षित किये गये थे। माननीय मंत्री महोदय द्वारा समीक्षा बैठक दिनांक 9.7.24 में जयपुर शहर के चारों राजमार्गो पर उक्त नियम के अन्तर्गत आवेदनकर्ताओं हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसकी पालना में आगरा रोड़ पर गोविन्दपुरा रोपाड़ा आवासीय योजना, दिल्ली रोड पर साइंस टेक सिटी अचरोल, अजमेर रोड़ पर केदार विहार एवं मोहन लाल सुखाडिया नगर तथा टोंक रोड़ पर उदय विहार योजना में भूखण्ड आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये है। प्रस्ताव अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर उक्त आवंटियों से आरक्षित योजनाओं के विकल्प प्राप्त कर लॉटरी से आवंटन किया जावे।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

RajKaj Ref
9274663

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.07.29 1_:44:34 IST
Reason: Approved